पत्रांक–2 / यो0–5010 / 2016–
बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, 01 दिनांक–

विषय– विभागीय राज्यादेश सं0–518 दिनांक–22.05.2025 द्वारा स्वीकृत स्कीम के आलोक में **"सीमापार श्रमिक एवं अन्य मानव बल के नियोजन हेतु ब्यूरो"** के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 में विपत्र कोड–26-2230021010112 के विषय शीर्ष–31 06–"सहायक अनुदान गैर वेतन" मद में स्वीकृत कुल राशि ₹99,99,000 / –(रूपये निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार) मात्र में से वित्त विभाग द्वारा छोड़ी गयी 35% की राशि अर्थात ₹34,99,650 (रूपये चौतीस लाख निन्यानवे हजार छः सौ पचास) मात्र की निकासी कर **"सीमापार श्रमिक एवं अन्य मानव बल के नियोजन हेतु ब्यूरो"** को पी0एल0 खाता के माध्यम से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आदेशः–विभागीय राज्यादेश सं0–518 दिनांक–22.05.2025 के आलोक में **स्वीकृत।**

2. इस स्कीम के अंतर्गत व्यय मुख्य शीर्ष 2230 श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष–02, रोजगार सेवाएं–समूह शीर्ष राज्य स्कीम, लघु शीर्ष–101–रोजगार सेवाएँ–उप शीर्ष–0112–"सीमापार श्रमिक एवं अन्य मानव बल के नियोजन हेतु ब्यूरो", मांग संख्या–26, विपत्र कोड–26-2230021010112 के विषय शीर्ष–31 06–"सहायक अनुदान गैर वेतन" मद हेतु ₹34,99,650 (रूपये चौतीस लाख निन्यानवे हजार छः सौ पचास) मात्र के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3. इस स्कीम अंतर्गत राशि की निकासी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशालय नियोजन (मुख्यालय) द्वारा करते हुए "बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो" जो सोसायटी के रूप में गठित है, के पी0 एल0 खाता सं0–PBB-PLA-017 में हस्तांतरित कर दिया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत स्कीम अंतर्गत राशि का आवंटन, बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी / प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा राशि के मांग किए जाने के फलस्वरूप पी0एल0ए0 खाता में राशि का हस्तांतरण संबंधी वित्त विभागीय संकल्पों / नियमों एवं अनुदेशों का विधिवत पालन करते हुए निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना के द्वारा निर्गत किया जायेगा जो नियंत्री पदाधिकारी है।

5. इस राशि की निकासी विपत्र Form-46 (Inter departmental transfer) पर किया जायेगा।

6. इस राशि की निकासी पुस्त हस्तांतरण (Book transfer) द्वारा बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो के पी0एल0 खाता सं0–PBB-PLA-017 में जमा की जायेगी।

7. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(सुनील कुमार–1)
निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण।
कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक–2/यो0–5010/2016– पटना, 01 दिनांक–

प्रतिलिपि–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो, बिहार, पटना/प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशालय नियोजन (मुख्यालय)/लेखा शाखा (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह0/–

निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण।

ज्ञापांक–2/यो0–5010/2016– 16 पटना, 01 दिनांक–03/1/2026

प्रतिलिपि–सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण के आप्त सचिव/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना/आई0टी0 मैनेजर, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3/1/26

निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण।